राष्ट्रीय एकता और हिन्दी

डॉ. अनिल शर्मा
रूड़की

राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय है संपूर्ण भारत को एकता एवं अखण्डता के सूत्र में बाँधे रखना। जब तक राष्ट्र के नागरिक परस्पर एकता के सूत्र में नहीं बँधते तब तक राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति संभव नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं एवं विभिन्न संस्कृतियां हैं, किन्तु यह विभिन्नता भी शक्ति एवं सामर्थ्य का परिचायक है, उसकी कमजोरी नहीं। वस्तुतः विभिन्नता में एकता का मंत्र भारत का उद्घोष है भारत के मूल निवासी इतने सहिष्णु एवं उदार रहे कि उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को अपना लिया। उनके धर्म, संस्कार, पूजा पद्धति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी एक साथ अपनी–अपनी पूजा पद्धति अपने–अपने इष्टदेव एवं अपनी–अपनी संस्कृति को लेकर माला में गूंथे हुए मनकों की भांति एकता के सूत्र में जुड़े रहे।

राष्ट्र एक सांस्कृतिक शब्द है, जिसका अभिप्राय केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं लिया जाता अपितु यह हमारे जातीय गौरव, जातीय स्वाभिमान एवं जातीय चरित्र को अभिव्यक्त करता है। साम्प्रदायिकता की भावना राष्ट्रीय एकता में बाधक है। जब एक वर्ग अलगाव की बात करता है और दूसरे वर्ग के प्रति विद्वेष, असन्तोष एवं ईर्ष्या के भाव रखता है, तब राष्ट्रीय एकता की भावना को खतरा पैदा हो जाता है। इसी प्रकार प्रान्तीयता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद भी राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व हैं। देशवासियों में राष्ट्रीयता का भाव जगाने में हिन्दी का योगदान पहले से ही है। स्वतंत्रता के आंदोलन में हिन्दी के अनेक साहित्यकारों की कलम से निकले शब्दों ने भारतीयों को देश पर मर–मिटने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान समय में भी हिन्दी राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा माध्यम है। भले ही अभी तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार नहीं किया गया हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि हिन्दी भारत की आत्मा है, राष्ट्रीय एकता की पोषक है और राष्ट्रभाषा का सम्मान पाने की अधिकारी भी हिन्दी ही है।

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। देश के विभिन्न प्रान्तों में अलग–अलग भाषाओं का बोलबाला है। हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, उड़िया, बंगला, असमिया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित की जाए। किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जिसका अपने देश की संस्कृति और साहित्य से गहरा संबंध हो। राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे देश की बहुसंख्यक जनता बोलती–समझती हो तथा वह अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखती हो। अन्य भाषाओं के शब्दों को पचाने की क्षमता भी उस भाषा में होनी चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं केवल अपने–अपने प्रान्त में सीमित हैं, उन्हें बोलने वालों की संख्या भी सीमित है, जबकि हिन्दी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है।

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है, क्योंकि यह बहुसंख्यक लोगों की भाषा है तथा इसका क्षेत्र व्यापक है। हिन्दी क्षेत्र के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बिहार, झारखण्ड और राजस्थान राज्य आते हैं। इन राज्यों में तो हिन्दी का बोलबाला है ही, इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र गुजरात, पंजाब, कश्मीर, पश्चिमी बंगाल में भी हिन्दी बोलने–समझने वाले लोगों की कमी नहीं है। देश के अन्य प्रांतों में भी हिन्दी बोलने वाले लोग चाहे कम संख्या में हों लेकिन हैं अवश्य। स्पष्ट है कि हिन्दी भारत के सर्वाधिक लोगों की

भाषा है। अनुमानतः 60 करोड़ लोग हिन्दी भाषा–भाषी हैं, अतः हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित नहीं किया जा सकता।

हिन्दी भारतीय संस्कृति, सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, इसका साहित्य उच्चकोटि का है और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाला है। भारत की प्राचीन भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, पालि और अपभ्रंश से इसका निकट का संबंध है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं और आज नए शब्दों का गठन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हिन्दी में किया जा रहा है। हिन्दी का शब्द–भण्डार पर्याप्त समृद्ध है तथा इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को पचाने की सामर्थ्य भी है। अर्थात् हिन्दी में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनके आधार पर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा
देकर राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न भी राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र के गौरव, स्वाभिमान एवं अस्मिता के प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वाहक होती है। भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त जब राष्ट्रभाषा का सवाल उठा तो हमारे दूरदर्शी नेताओं गाँधीजी, नेहरूजी, राजगोपालाचारी, मौलाना अबुलकलाम आजाद, गोविन्द बल्लभ पंत आदि ने एक स्वर में हिन्दी को इस पद पर प्रतिष्ठित करने की वकालत की थी।

बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, जो देश के विस्तृत भू–भाग में बोली–समझी जाती है जबकि संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी। भारतीय संविधान की धारा 343 के अन्तर्गत हिन्दी को देश की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है तथा धारा 351 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए प्रयासरत रहेगा। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का गठन भी इसी उद्देश्य के लिए किया गया तथा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए सरकार की ओर से अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं।

शुरूआत में दक्षिण भारत विशेषतः तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध किया गया। कैसी विडम्बना है कि वे एक भारतीय भाषा का तो विरोध करते हैं, किन्तु विदेशी भाषा अंग्रजी के समर्थक हैं। वास्तविकता यह है कि यह हिन्दी विरोध विशुद्ध राजनैतिक है और राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण भारत में भी हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ी है। धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बड़ी संख्या में हिन्दी भाषा–भाषी दक्षिण भारत के कन्याकुमारी, तिरूअनन्तपुरम्, रामेश्वरम्, तिरूपति, बालाजी, मदुरै, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई आदि स्थलों की यात्रा पर जाते हैं तो व्यापारी वर्ग में इन यात्रियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए हिन्दी संपर्क भाषा के रूप में निरन्तर विकसित हो रही है। आम दक्षिण भारतीय हिन्दी विरोध की राजनैतिक चाल को समझ चुका है और उसे पता है कि उसके कारोबार–व्यापार की सफलता के लिए हिन्दी का ज्ञान कितना जरूरी है।

मेरे मित्र बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज रूड़की के प्रोफेसर डॉ.सम्राट सुधा पिछले दिनों केरल की यात्रा पर थे, जहाँ वह लगभग एक माह रहे और हिन्दी ओरियन्टेशन प्रोग्रामों में भाग लिया। उन्होंने बताया कि केरल में हिन्दी बोलने–समझने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। बड़ी संख्या में छात्र वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी का चयन कर रहे हैं। दुकानदार उत्तर भारतीयों के साथ काम चलाऊ हिन्दी में संवाद करते हैं। डॉ. सुधा ने बताया कि हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं पूरे मनोयोग से जुटी हैं। वास्तव में यह सब हिन्दी के भविष्य के लिए तो सुखद है ही, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए भी शुभ संकेत है।

आज हिन्दी को उन तथाकथित काले अंग्रेजों का विरोध झेलना पड़ रहा है जो अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति के गुलाम बन चुके हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद भी वे मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हुए और अभी भी वे अंग्रेजी के नाम पर सामान्य जनता का शोषण करते हैं और सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी के पक्षधर हैं। उन्हें भय है कि यदि हिन्दी में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया तो वे जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। कैसी विडम्बना है कि जो भाषा भारत के दो प्रतिशत लोग भी नहीं बोल पाते, वही सरकारी कार्यालयों में छायी हुई है।

यह अत्यन्त खेदजनक है कि लोग हिन्दी का विरोध करते हैं और उसके स्थान पर किसी अन्य भारतीय भाषा की वकालत न करके अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को भी फलने–फूलने का पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन पूरे देश को एक सूत्र में बाँधने वाली भाषा हिन्दी के प्रति अनुराग रखना चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसीलिए कहा था –

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल ।।

अंग्रेजी देश को एकता के सूत्र में नहीं बाँध सकती। यह कार्य तो हिन्दी को ही करना है। अतः राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी हमें हिन्दी को ही अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है अतः उसके वर्चस्व को समाप्त करना ही होगा।

प्रायः लोग यह समझते हैं कि अंग्रेजी विश्व की भाषा है, किन्तु यह नितान्त भ्रमपूर्ण है। रूस, चीन, जापान, जर्मन, फ्रांस की अपनी–अपनी भाषाएं हैं और इनके नेता विदेशों में अपने देश की भाषा में बोलते हैं। भारत के नेताओं को भी विदेश में अपने देश की भाषा में बोलना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। आज हिन्दी ने वह सामर्थ्य एवं क्षमता भी ग्रहण कर ली है जिससे वह उच्च शिक्षा का माध्यम बन सकने में समर्थ हो सकी है। आज हिन्दी की शब्द सम्पदा बढ़ी है। वैज्ञानिक, तकनीकी, विधि एवं शासकीय शब्दावली से संबंधित हिन्दी के अनेक शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में फिल्म, संचार, संगीत एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिन्दी फिल्में बिना किसी भेदभाव के पूरे देश के हर कोने में अत्यन्त रूचि के साथ देखी जाती हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। गोस्वामी तुलसीदास की 'रामचरित मानस', कबीर–जायसी का निर्गुण काव्य, सूरदास, मीराबाई एवं रसखान का कृष्ण भक्ति काव्य तथा राष्ट्र कवियों की राष्ट्र भावना जगाने वाली रचनाओं पर पूरे देश को गर्व है। प्रत्येक स्वाभिमानी नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह हिन्दी का अधिकाधिक व्यवहार करे, हिन्दी में पत्र लिखें, हिन्दी में हस्ताक्षर करें और हिन्दी में भाषण दें। जब हिन्दी हमारे मन–प्राण से जुड़ जाएगी, तब निश्चित रूप से वह राष्ट्रभाषा के सम्मान को प्राप्त कर पायेगी।

महात्मा गाँधी जैसे नेता ने हिन्दी को भारत की आत्मा के रूप में पहचाना था और वे उसी का उपयोग देश की जनता के साथ सम्पर्क हेतु करते थे। विभिन्न प्रांतों के लोग हिन्दी भाषा सीखें और हिन्दी का अधिकाधिक व्यवहार करें। हिन्दी का प्रयोग करने में हीनता का अनुभव करना जिस दिन भारतवासी छोड़ देंगे और उसका प्रयोग करने में गौरव का अनुभव करने लगेंगे, उसी दिन से हिन्दी का उत्कर्ष प्रारम्भ होगा। अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हुए भी हिन्दी को अपनाया जा सकता है, तभी क्षेत्रीयता की संकीर्णता पर राष्ट्रीयता की जीत होगी। क्योंकि –

हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं।
लेकिन इन सबसे पहले, हम केवल भारतवासी हैं।।